दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आ.प्र.आ.(मूल पक्ष) 30/2024 एवं सि.वि.आ. 13656/2024

कपिल कुमार शर्मा ... अपीलार्थी

द्वारा: श्री कुलजीत रावल, अधिवक्ता

बनाम

ललित कुमार शर्मा और अन्य ...
प्रत्यर्थीगण

द्वारा: कोई नहीं

निर्णय तिथि: 05 मार्च, 2024

कोरम:
माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

निर्णय

मनमोहन, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति: (मौखिक)

सि.वि.आ. 13657/2024 (छूट के लिए)

1. अनुमति है, सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन।

2. तदनुसार, वर्तमान आवेदन का निपटान किया जाता है।

आ.प्र.आ.(मूल पक्ष) 30/2024 और सि.वि.आ. 13656/2024

3. वर्तमान अपील दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 10 के तहत दायर की गई है, जिसमें सिविल वाद (मूल पक्ष) सं. 1632/1996 में पारित दिनांक 15 दिसंबर, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ('सि.प्र.स.') के आदेश VI नियम 17 के तहत दायर अं.आ. सं. 5942/2023 को खारिज कर दिया था, जिसमें विभाजन के लिए वाद की गैर-अनुरक्षणीयता के संबंध में प्रस्तावित नई प्रारंभिक आपत्ति सं. 2 को शामिल करने के लिए लिखित बयान में संशोधन की मांग की गई थी।

4. अपीलार्थी प्रतिवादी सं.1 है, प्रत्यर्थी सं.1 वादी है और प्रत्यर्थी सं.2 प्रतिवादी सं.2 है। दोनों पक्ष सहोदर हैं।

संक्षिप्त तथ्य

5. यह वाद पक्षकारों के पिता स्वर्गीय श्री धर्म चंद शर्मा के स्वामित्व वाली संपत्ति सं. आर-752, न्यू राजिंदर नगर, नई दिल्ली ('वाद संपत्ति') के विभाजन की मांग करते हुए बिना वसीयत के उत्तराधिकार की दलील पर दायर किया गया है। अपीलार्थी ने दिनांक 7 जनवरी, 2002 को उक्त वाद में अपना लिखित बयान दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर विभाजन की डिक्री देने पर आपत्ति जताई गई कि स्वर्गीय श्री धर्म चंद शर्मा ने दिनांक 10 जनवरी, 1995 को एक वसीयत निष्पादित की थी, जिसमें अपीलार्थी के बेटे मास्टर चाणक्य के पक्ष में वाद की संपत्ति वसीयत की गई थी। इसके बाद

अपीलार्थी ने (एक अभिभावक के रूप में) दिनांक 10 जनवरी, 1995 की कथित वसीयत की प्रोबेट की मांग करते हुए परीक्षण मामला सं. 40/1999 के तहत एक प्रोबेट याचिका दायर की।

6. वाद में दिनांक 16 जुलाई, 2003 को और प्रोबेट याचिका में दिनांक 24 जनवरी, 2005 को मुद्दे तय किए गए। चूंकि, वाद और प्रोबेट याचिका दोनों ही वाद संपत्ति में अधिकारों के निर्धारण से संबंधित थे, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 के अपने आदेश में माना कि यह आवश्यक है कि इन मामलों की एक साथ सुनवाई की जाए; और आगे कहा कि विभाजन की राहत इस मुद्दे पर निर्भर करेगी कि क्या अपीलार्थी प्रोबेट याचिका में दिनांक 10 जनवरी, 1995 की वसीयत की वैधता और वास्तविकता साबित करने में सक्षम है।

7. प्रासंगिक रूप से, अपीलार्थी की प्रोबेट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश ने 3,00,000/- रुपये की लागत लगाते हुए दिनांक 12 सितंबर, 2019 को खारिज कर दिया था। प्रोबेट याचिका को खारिज करने का उक्त आदेश अब अंतिम रूप ले चुका है। प्रोबेट याचिका को खारिज करने का परिणाम यह है कि स्वर्गीय श्री धर्म चंद शर्मा की संपत्ति उनके वर्ग-I कानूनी उत्तराधिकारियों को बिना वसीयत के हस्तांतरित हो जाएगी।

8. प्रोबेट याचिका को खारिज किए जाने और दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 के पहले के आदेश को ध्यान में रखते हुए, अंतर्निहित वाद अब अंतिम सुनवाई के

लिए सूचीबद्ध है। हालांकि, इस अंतराल में अपीलार्थी ने दिनांक 23 मार्च, 2023 को अं.आ. सं. 5942/2023 दायर की, जिसे आपत्तिजनक आदेश के तहत खारिज कर दिया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की दलीलें

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 के अपने पिछले आदेश में निर्देश दिया था कि वाद और प्रोबेट याचिका दोनों पर एक साथ सुनवाई की जाए, इसलिए अपीलार्थी ने प्रोबेट कार्यवाही में साक्ष्य प्रस्तुत किए और उक्त कार्यवाही में स्वर्गीय श्री धर्म चंद शर्मा के स्वामित्व वाली 'चल संपत्तियों की सूची' प्रदर्शित की। उन्होंने कहा कि इसलिए, उक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी ने पुनरावृत्ति से बचने के लिए वाद की कार्यवाही में उक्त सूची दाखिल नहीं की।

9.1. उन्होंने कहा कि अपीलार्थी अपने आवेदन के माध्यम से इस आधार पर वाद की स्वीकार्यता पर केवल एक प्रारंभिक आपत्ति शामिल करना चाहता है कि यह विभाजन के लिए एक आंशिक वाद है क्योंकि स्वर्गीय श्री धर्म चंद शर्मा की चल संपत्तियों को परिवाद के साथ दायर नहीं किया गया है; और चल संपत्तियों की उक्त सूची को अभिलेख में रखने की मांग करता है।

9.2. उनका कहना है कि चल संपत्तियों की सूची पक्षकारों की जानकारी में है और अपीलार्थी केवल अपने लिखित बयान में उन्हें शामिल करने की मांग कर रहा था।

विश्लेषण

10. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

11. आगे बढ़ने से पहले, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वाद और प्रोबेट याचिका की शुरुआत में, आदेश XVIII नियम 3 सि.प्र.स. के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 को पारित आदेश का संदर्भ लेना प्रासंगिक होगा, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है: -

> *"2. जहां तक शपथपत्रों के अनुसरण में दस्तावेजों को प्रदर्शित करने के मुद्दे का संबंध है, प्रतिवादी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें कुछ आपत्तियां हैं क्योंकि कुछ दस्तावेज वर्तमान कार्यवाही में दायर नहीं किए गए हैं। अभियोक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि मूल दस्तावेज प्रोबेट कार्यवाही में दाखिल किए गए हैं। प्रतिवादी सं. 1 के लिए विधि के अनुसार आपत्तियां उठाने का अधिकार होगा।*
>
> *3. ये मुद्दे दिनांक 16.07.2003 को तय किए गए थे। **वर्तमान वाद विभाजन के लिए है।** प्रतिवादी सं. 1 ने बिना वसीयत के उत्तराधिकार के दावे के विरोध में स्वर्गीय श्री धर्म चंद शर्मा की दिनांक 10 जनवरी, 1995 की वसीयत पेश की है। प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त वसीयत की प्रोबेट प्रदान करने के लिए अलग से प्रोबेट याचिका सं. 40/1999 भी दायर की है।*

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वाद पर कुछ तकनीकी आपत्तियाँ भी उठाई गई हैं, जिन पर मुद्दे तय किए गए हैं।

*4. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह **सहमति है** कि जहां तक मुद्दा सं. 2 का संबंध है, जो वसीयत के निष्पादन से संबंधित है, इसका **दायित्व** प्रतिवादी सं. 1 पर है। मुद्दा सं. 2 को तदनुसार निम्नानुसार पढ़ा जाना चाहिए:*

> *"2. जैसा कि आरोप लगाया गया है, क्या स्वर्गीय धर्मचंद शर्मा ने दिनांक 10 जनवरी, 1996 को वसीयत निष्पादित की थी? साबित करने का दायित्व प्रतिवादी-1 पर है"।*

*5. मेरे विचार से, यह आवश्यक है कि वाद और प्रोबेट याचिका दोनों पर एक साथ सुनवाई की जाए। मेरा यह भी विचार है कि इस तथ्य को देखते हुए कि वसीयत के निष्पादन का दायित्व स्वाभाविक रूप से प्रतिवादी सं. 1 पर है, प्रतिवादी सं. 1 को वाद में पहले साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। दिनांक 16.07.2003 को तैयार किए गए मुद्दों का अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मुद्दा सं. 1 और 3 का दायित्व पहले से ही प्रतिवादी पर है। **केवल मुद्दा सं. 4 में वादी पर दायित्व है जो कि विभाजन से राहत है। इस प्रकार विभाजन की राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रतिवादी सं. 1 दिनांक 10 जनवरी, 1995 की वसीयत को साबित करने में सक्षम है।***

5. चूंकि वादी द्वारा शपथपत्र पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं, इसलिए प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे 8 सप्ताह के भीतर मुख्य परीक्षा द्वारा अपने शपथपत्र दाखिल करें, क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 देश से बाहर बताया गया है। प्रतिवादी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता को यह स्पष्ट किया जाता है कि इसको ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त समय दिया गया है और आगे कोई समय नहीं दिया जाएगा।

7. साक्ष्य दर्ज करने के लिए संयुक्त निबंधक को स्थानीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है। 8. दिनांक 9 जनवरी, 2006 को आगे के निर्देशों के लिए संयुक्त निबंधक के समक्ष सूचीबद्ध करें।"

(जोर दिया गया)

12. यह अभिलेख में दर्ज है कि प्रोबेट याचिका की कार्यवाही विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 12 सितंबर, 2019 के विस्तृत निर्णय के तहत खारिज कर दी गई है, जिसका प्रभावी भाग इस प्रकार है: -

> *"33. इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता प्रश्नगत वसीयत को साबित करने में **विफल** रहा है, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है। प्रतिवादीगण को वाद की **लागत** का भी हकदार माना जाता है, जिसका मूल्यांकन **3 लाख रुपये** किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादीगण को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर बराबर हिस्से में लागत का भुगतान किया जाएगा।*
>
> *34. पूर्वगामी निर्णय को ध्यान में रखते हुए, लंबित आवेदन के साथ याचिका, यदि कोई हो, खारिज कर दी जाती है।"*

(जोर दिया गया)

13. दिनांक 12 सितंबर, 2019 के निर्णय ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा उक्त बर्खास्तगी के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है। इसलिए, प्रोबेट याचिका की उपरोक्त बर्खास्तगी को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि वाद में मांगी गई विभाजन की राहत परिणामस्वरूप पालन की जानी थी, जैसा कि दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 के आदेश के तहत परिकल्पित किया गया था। प्रोबेट कार्यवाही की बर्खास्तगी का परिणाम यह था कि कोई विवाद नहीं है कि स्वर्गीय श्री धर्म चंद शर्मा की मृत्यु बिना वसीयत के हुई थी और इसलिए वाद की संपत्ति उनके वर्ग-I के विधि उत्तराधिकारियों को

बिना वसीयत के उत्तराधिकार के द्वारा हस्तांतरित होगी। वास्तव में, हम इस बात से हैरान हैं कि विभाजन का वाद 2019 से 2024 तक लंबित रहा।

14. स्वर्गीय श्री धर्म चंद शर्मा की चल संपत्तियों को शामिल न करने के कारण विभाजन के वाद की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति को शामिल करने के लिए दिनांक 23 मार्च, 2023 को लिखित बयान में संशोधन के लिए अपीलार्थी द्वारा आवेदन (यानी, अं.आ. सं. 5942/2023) दाखिल करना दुर्भावनापूर्ण है। उक्त आवेदन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से वाद की संपत्ति के संबंध में विभाजन के आदेश को पारित करने में बाधा डालना है।

15. अपीलार्थी के अनुसार चल संपत्तियों की सूची उसके पास वर्ष 1999 से उपलब्ध थी, जब प्रोबेट याचिका दायर की गई थी। हालांकि, दिनांक 7 जनवरी, 2002 को दायर लिखित बयान में विभाजन के वाद से इसे बाहर करने पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। वर्ष 2023 (यानी संशोधन आवेदन दाखिल करने की तिथि) में उक्त चल संपत्तियों का अस्तित्व, यदि कोई है, और उनकी हिरासत का खुलासा दलीलों में नहीं किया गया है। प्रासंगिक रूप से, अपीलार्थी संशोधन आवेदन के माध्यम से कथित चल संपत्तियों का विभाजन भी नहीं मांग रहा है। यह रिष्टि बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि चल संपत्तियों की सूची में फिएट कार मॉडल 1982, बीएमडब्ल्यू मोटर साइकिल, गीजर आदि जैसी कथित संपत्तियों का संदर्भ शामिल है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक, जो कथित रूप से इन चल संपत्तियों का मालिक था, का निधन दिनांक 23 जनवरी, 1996

को हुआ था, हम यह समझने में विफल हैं कि क्या ऐसी संपत्तियां आज की तारीख में मौजूद भी हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आवेदन दाखिल करने का उद्देश्य केवल वाद की संपत्ति के विभाजन की अंतिम राहत प्रदान करने में देरी करना है। इसलिए, कथित चल संपत्तियों के संबंध में विभाजन और उत्तराधिकार का दावा वर्तमान वाद के दायरे से बाहर रखा गया है और किसी भी पक्ष के अधिकार, यदि कोई हो, को सीमा के कानून के अधीन उचित कार्यवाही में उठाया जा सकता है।

16. अपीलार्थी का यह दावा कि वादी को दिनांक 16 जुलाई, 2023 को तय किए गए मुद्दों को साबित करने के लिए सबूत पेश किये जाने हैं, गलत है और दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 के आदेश के विपरीत है। प्रोबेट याचिका खारिज होने के साथ, श्रेणी-I के विधिक उत्तराधिकारी वाद की संपत्ति में बराबर हिस्से के हकदार हैं।

17. हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि अपीलार्थी के अपने रुख के अनुसार, अन्य पक्षों को छोड़कर वाद की संपत्ति पर उसका भौतिक कब्जा है। संशोधन आवेदन दाखिल करने और विभाजन डिक्री पारित करने में बाधा डालने के पीछे का उद्देश्य उक्त कब्जे को कायम रखना है। वास्तव में, यहां प्रत्यर्थी, जिन्हें वाद की संपत्ति के वास्तविक और भौतिक कब्जे से वंचित किया गया है, वे वाद का न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को बहिष्कार की अवधि के लिए प्रत्यर्थीगण को उचित मध्य लाभ का भुगतान करने का निर्देश देकर प्रतिपूर्ति के हकदार हैं। इस संबंध

में, ***सीता कश्यप और अन्य बनाम हरबंस कश्यप और अन्य*** में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना प्रासंगिक होगा, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

> *"21. विभाजन के लिए दायर वाद में हालांकि मुनाफे के लिए कोई विशेष प्रार्थना नहीं की गई है, लेकिन न्यायालय के पास मुनाफे की जांच करने और उसमें वादी के हिस्से के लिए डिक्री देने का अधिकार है। इस प्रस्ताव को* ***बसवैया*** *(पूर्वोक्त) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित किया गया था।* ***वास्तव में, विभाजन के लिए दायर वाद में न्यायालय का यह कर्तव्य बनता है कि वह मुनाफे की जांच करे, भले ही मुनाफे का कोई दावा न हो, ताकि पक्षों के बीच इक्विटी को संतुलित किया जा सके। यदि सह-स्वामियों में से कोई एक किराए आदि के रूप में कुछ लाभ प्राप्त कर रहा है या विभाजन की विषय वस्तु वाली संपत्ति में अपने हिस्से से अधिक हिस्से पर कब्जा कर रहा है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य बनता है कि वह विभाजन की विषय वस्तु वाली संपत्ति से अर्जित लाभ, यदि कोई हो, का उचित विभाजन करने का निर्देश देकर या*** *किसी व्यक्ति द्वारा, जो संपत्ति में अपने हिस्से को देखते हुए उससे अधिक हिस्से पर कब्जा कर रहा है, उस हिस्सेदार (हिस्सेदारों) को उचित भुगतान करने का निर्देश देकर इक्विटी को समायोजित करे, जो या तो पूरी तरह से कब्जे से वंचित है या संपत्ति में अपने हिस्से की तुलना में कम हिस्से पर कब्जा कर रहा है। बेशक, इस तरह के भुगतान/समायोजन को न्यायालय द्वारा वाद दायर करने के बाद के मध्यवर्ती लाभ के संबंध में ही निर्देशित किया जा सकता है....."*

(जोर दिया गया)

18. उपर्युक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, हम संशोधन की मांग करने वाली अर्जी को खारिज करने वाले आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं क्योंकि यह सद्भावनापूर्ण नहीं है और इसे वाद की कार्यवाही को बाधित करने

और उसे लंबा खींचने के लिए दायर किया गया है और दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 के आदेश को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, वर्तमान अपील को लंबित अर्जी के साथ खारिज किया जाता है।

19. पंजीकरण को निर्देश दिया जाता है कि वह सिविल वाद(मूल पक्ष) सं. 1632/1996 को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दिनांक 20 मार्च, 2024 को सूचीबद्ध करे, ताकि प्रोबेट याचिका को खारिज किए जाने को ध्यान में रखते हुए दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 के आदेश के अनुसरण में वाद में उचित आदेश और निर्देश पारित किए जा सकें।

20. प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा अं.आ. सं. 5942/2023 में दाखिल जवाब के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने प्रोबेट याचिका में न्यायालय द्वारा लगाए गए 3,00,000/- रुपए की लागत का भुगतान करने में जानबूझकर विफल रहा है, जिसे दिनांक 12 सितंबर, 2019 से चार सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाना था। अपीलार्थी को दिनांक 20 मार्च, 2024 को या उससे पहले लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर वाद की कार्यवाही में उसका बचाव रद्द कर दिया जाएगा।

कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति

मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, न्यायमूर्ति

5 मार्च, 2024/आरएचसी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*